हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) परिपत्र (Circular) प्रज्ञांक संग्रीमान्यता |२०३२ | 698 गदे० - ३।०३३८०३१

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/शासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/ संस्थानों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अस्थाई सम्बद्धता में पूर्व से संचालित विषयों की सत्र 2017—18, 2018—19 एवं 2019—20 की सम्बद्धता के लिए दिनांक 20.04.2022 तक **ऑफ लाइन मोड में** आवेदन करना होगा। सम्बद्धता शर्ते एवं आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप व अन्य जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.hnbgu.ac.in पर उपलब्ध है।

सत्र 2017—18, 2018—19 एवं 2019—20 की सम्बद्धता के लिए निम्नवत आवेदन करना होगा:—

- 1. सत्रवार पूर्व से संचालित प्रत्येक विषय की सम्बद्धता के लिए निर्धारित प्रारूप (Annexure-I) पर सम्बद्धता शुल्क रूपया 1000/— के डिमान्ड ड्राफ्ट (वित्त अधिकारी एच०एन०बी०गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल) के साथ आवेदन करना होगा।
- 2. पूर्व से संचालित जिस विषय के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होगा उसे सम्बद्ध विषयों की सूची से पृथक कर दिया जायेगा।
- 3. राजकीय/शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में यदि स्ववित्त पोषित में पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है तो उन्हें भी निर्धारित प्रारूप पर सम्बद्धता शुल्क सत्रवार रूपया 1000/— के डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन करना होगा।
- 4. जिन संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया हो उन्हें भी सम्बन्धित वाद पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित प्रारूप पर अलग—अलग आवेदन करना होगा।
- 5. जिन संस्थाओं द्वारा पूर्व में सम्बद्धता के लिए आवेदन किया है उन्हें भी उपरोक्तानुसार पुनः आवेदन करना
- 6. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

- 1. समस्त सम्बद्घ कालेज / संस्थान।
- 2. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक, पौडी / टिहरी / चौरास परिसर।
- 3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण / वित्तअधिकारी।
- 4. परीक्षा नियंत्रक।

5. संयुक्त कुलसचिव / समस्त उप कुलसचिव / समस्त सहायक कुलसचिव।

- 6. प्रभारी सिस्टम मैनेजर डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर हे०नं०ब०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त परिपन्न (Circular) की सम्बद्धता शर्ते एवं आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप को विश्वविद्यालय वेबसाइट www.hnbgu.ac.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7. निजी सचिव कुलसचिव।
- 8. प्रति कुलपति।
- 9. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।

कुलसचिव

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY, SHRI NAGAR, GARHWAL NOTIFICATION FOR EXTENTION OF AFFILIATION- 2017-18, 2018-19 & 2019-20

- 1. All the affiliated institutions (Govt/ Govt-Aided/Self-Financing) of the HNB Garhwal University, Srinagar Garhwal are hereby informed to apply **Off-line mode** for extension of their affiliation for 2017-18, 2018-19 & 2019-20 session in the prescribed format available in the University website www.hnbgu.ac.in. The last date of receiving of filled in and complete application along with prescribed fee and other supporting documents is Date 20/04/2022 The University may not consider applications received after last date.
- 2. Separate application to be submitted for each programme/course as per the proforma for extension of temporary affiliation.
- 3. In each application a processing fee of Rs 1000/- per year (non-refundable) in the form of Demand Draft in favour of Finance Officer, HNBGU payable at Srinagar Garhwal be enclosed. Processing fee will be charged from institutions running self-finance courses/ programmes. Govt and Govt-Aided institutions also have to pay the processing fee if they apply for any courses which are being run by them on self-finance mode.
- 4. In case of any discrepancies in the given format and/or in any guidelines scanned copy of **guidelines and regulations for affiliation and/or extension of existing affiliation of colleges, 2013** be referred.

ANNEXURE-1: PROFORMA FOR TEMPORARY AFFILIATION/ EXTENTION OF TEMPORARY AFFILIATION IN COLLEGES/ INSTITUTES.

ANNEXURE:II: AFFIDAVIT IN NON-JUICIAL STAMP PAPER OF RS. 100 DULY ATTESTATION BY NOTARY.

ANNEXURE-III: CHECKLIST OF DOCUMENTS (SELF ATTESTED WITH SEAL AND SIGNATURE OF THE HEAD OF THE INSTITUTION/ PRINCIPAL/SECRETARY OF THE MANAGEMENT)

ANNEXURE-IV: GENERAL CONDITIONS AND ELIGIBILITY CRITERIA FOR EXTENTION OF EXISTING TEMPORARY AFFILIATION.

Registrar

The institutions may feel free to make correspondence through mail <u>affiliation</u> <u>cell 2020@gmail.com</u>.